भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.291
मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस में खुदरा डीलरशिप

291. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को पेट्रोल/डीजल पंपों की खुदरा डीलरशिप लेने की अनुमति दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सामान्य सेवा केन्द्रों के रूप में पीएसीएस के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नाबार्ड द्वारा किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) पीएसीएस को मजबूत बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ मान्यवर। सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को पेट्रोल/डीज़ल पंपों की डीलरशिप लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमित और ग्रामीण खुदरा पेट्रोल /डीज़ल आउटलेट्स के लिए डीलरों के चयन हेतु सयुंक्त श्रेणी-2 (CC-2) के अंतर्गत पैक्स को प्राथमिकता देने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसके तहत पैक्स तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को रिटेल आउटलेट्स में बदलने के लिए वन टाइम विकल्प भी दिया गया है, जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किए है ।

जैसा कि तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा सूचित किया गया है, 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 286 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं, जिनमें से 26 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा चुना गया है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की रिपोर्टों से पता चलता है कि पैक्स थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने के पहल के तहत 5 राज्यों के 116 पैक्स द्वारा इस रूपांतरण के लिए सहमती दे दी गई है, और 56 पैक्स पंपों को चालू कर दिया गया है ।

(ग) से (ङ): सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/ अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं आदि सहित कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा उपलब्ध 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके । दिनांक 27.1.2025 की स्थिति के अनुसार, 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 42,080 पैक्स ने कॉमन सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है ।

इस पहल के माध्यम से, किसान सदस्य और अन्य लोग, विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, उपरोक्त उल्लिखित सेवाओं सहित, उनके निवास स्थान के निकटतम विभिन्न ई-सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार हो सकता है । इसके अलावा, यह पैक्स को आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, जिससे अंततः उनसे जुड़े करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होता है । इसका उद्देश्य पैक्स को विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नोडल केंद्रों में बदलना और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्थाएं बनने में मदद करना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके ।

*****